सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 57 / 2017 अपील (RCMS/2017/00057)
पंजीयन दिनांक – 13.06.2017
निर्णय दिनांक – 10.07.2018

1. श्री जितेन्द्र पिता प्रेमचन्द्र श्रीवास्तव, निवासी 22, एम.पी. कॉलोनी, सेक्टर नम्बर–14, उदयपुर।

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्री दौलतराम पिता देवीलाल सेन, निवासी कुमावतों का गुडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती निर्मलाबाई पत्नि श्री उस्ता लोहार, निवासी भोपालवाडी, पवन डेयरी के पास, उदयपुर।
3. श्रीमती शान्तिदेवी पत्नि श्री दौलतराम मेहरा, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
4. श्री योगेश पिता बलराज खन्ना, निवासी विकासपुरी, नई दिल्ली।
5. श्री अमृतलाल पिता किशनलाल औदिच्य, निवासी गांव आट तहसील कुराबड, जिला उदयपुर हाल रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।
6. श्रीमती मोहनी पत्नि भगवतीलाल औदिच्य, निवासी–3, ढ़–25, प्रभातनगर, सेक्टर नम्बर–5, उदयपुर।
7. श्रीमती कृष्णा पत्नि श्री हरनारायण टंडन, निवासी ब्यावर रोड़, अजमेर।
8. श्री लेरूलाल पिता कालू माली, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।
9. श्रीमती सुमन कुमारी पिता पुरूषोत्तम तैली, निवासी रामद्वारा चौक की गली, उदयपुर।
10. श्री विजयराम पिता मोहनलाल औदिच्य, निवासी सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

11. श्री बंशीलाल पिता लकमीशंकर, निवासी धानमण्डी, उदयपुर।

12. श्री मोहनलाल पिता नन्दराम नागदा, निवासी माल की टूस, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

13. श्री भीमशंकर पिता नन्दराम नागदा, निवासी माल की टूस, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

14. श्री जगदीशलाल पिता भैरूलाल औदिच्य, निवासी वैद्य धर्मशाला, अशोकनगर, उदयपुर।

15. श्रीमती सुशीला धर्मपत्नि दिलीपचन्द औदिच्य, निवासी उदयपुर।

16. श्री शान्तिलाल पिता भगवान नागदा, निवासी उथरदा, तहसील सलूम्बर, जिला उदयपुर।

17. श्री उदयलाल पिता भूरा सेन, निवासी माजा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।

18. श्री मगन शर्मा निवासी मोजीराम शर्मा, निवासी जावद (मौलाव) तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।

19. श्रीमती मंशाकुमारी पत्नि मोहनलाल लोहार, निवासी धाणी वाला, उदयपुर।

20. श्री भगवान दास पिता मौजाराम कीमताणी, निवासी मकान नम्बर–215, टेकरी, उदयपुर।

21. श्रीमती शान्तादेवी पत्नि माधवलाल सेन, निवासी 349, सेक्टर नम्बर–4, उदयपुर।

22. श्री माधवलाल पिता भगवानलाल सेन, निवासी 349, सेक्टर नम्बर–4, उदयपुर।

23. श्री गोपाललाल पिता नेणा धोबी, निवासी गांछीवाडा, भोपालवाडा, मकान नम्बर–20, उदयपुर।

24. श्री रामलाल पिता रूपा सालवी, निवासी मकान नम्बर–2, कोठारी भवन, कोलपोल, उदयपुर।

25. श्रीमती शान्तादेवी पत्नि द्वारकाप्रसाद सालवी, निवासी 7 द्वारकेश टेलर, बड़ी होली, उदयपुर।

26. श्रीमती सूचिता पत्नि गणेशलाल चौबिसा, निवासी 44, महाराणा प्रताप कॉलोनी, सेक्टर नम्बर–13, उदयपुर।

27. श्रीमती संतोष पत्नि मदन औदिच्य, निवासी कृष्णविला कॉलोनी, सवीनाखेड़ा, उदयपुर।

28. श्री भंवरलाल पिता रूपलाल औदिच्य, निवासी खालातोड़, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

29. श्री जगदीश पिता शंकरलाल औदिच्य, निवासी कुराबड तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

30. श्री धमेन्द्र कुमार पिता हीरालाल औदिच्य, निवासी जावरमाता, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

31. प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।

– रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः–

1. श्री सम्पतलाल बोहरा – वकील अपीलान्ट
2. श्री एन.एस.चुण्डावत – वकील रेस्पोडेंट–31
2. श्री खेमराज डांगी – वकील रेस्पोडेंट सं.–1, 5, 8, 10, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30

अपील अर्न्तगत धारा–90–ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर का निर्णय दिनांक 19.12.2012

निर्णय

दिनांक 10.07.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–90–ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर का निर्णय दिनांक 19.12.2012 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम सवीना, तहसील गिर्वा में स्थित कृषि भूमि, जिसके आराजी नम्बर 546, 549, 583, 586 कुल किता–4 रकबा 0.2300 हैक्टेयर है। उक्त भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु रेस्पोडेंट संख्या–31 ने आम सूचना दिनांक 02.11.2012 को दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं प्रातःकाल में प्रकाशित करा 7 दिवस में आपत्तियां मांगी गई थी। निर्धारित अवधि में कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं होने से प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा उक्त आराजीयात की भूमि का आवासीय प्रयोजन के

लिये उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने का आदेश दिनांक 19.12.2012 को पारित किया गया। जिससे व्यथीत होकर उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट एवं वकील श्री खेमराज डांगी उपस्थित। उभय पक्ष की बहस दिनांक 03.07.2018 को सूनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि उपरोक्त आराजीयात में से खातेदार मीराबाई, मोहनीबाई पुत्री भंवरलाल कलाल व जमुनाबाई बेवा भंवरलाल, निवासीयान सवीना से सम्पूर्ण 1/6 हिस्से की जमीन को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.06.2006 से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। जिसका नामान्तरकरण संख्या 2178 दिनांक 14.07.2006 से नामान्तरकरण खुलकर अपीलान्ट का नाम केतागणों बजाय खातेदार के रूप में दर्ज हो गया तथा तबसे अपीलान्ट उपरोक्त आराजीयात के 1/6 हक व हिस्से का मालिक व काबिज चला आ रहा है एवं उपरोक्त आराजीयात को मिलाते हुए अपीलान्ट ने एक बटवारें एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद उप जिला कलक्टर, गिर्वा, उदयपुर के यहा दिनांक 26.11.2012 को पेश किय जिसके मुकदमा नम्बर 395/2012 वाद थे एवं इसके साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया जिसके मुकदमा नम्बर 340/2012 होकर उसमें दिनांक 27.11.2012 को न्यायालय ने उपरोक्त आराजीयात की मौके व रेकर्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये। जिसकी प्रतिलिपि मय प्रार्थना पत्र नगर विकास प्रन्यास में अपीलान्ट ने दिनांक 05.12.2012 को पेश की जिसकी रसीद संख्या 9350 दिनांक 05. 12.2012 है। उक्त तथ्यों की जानकारी मौजूदा रेस्पोडेंटस को होते हुए भी मिलीभगत करके दिनांक 19.12.2012 को न्यायालय से स्टे होते हुए भी 90–ए के सम्बन्ध में आदेश जारी करवा दिया जबकि उक्त दिनांक को अपीलान्ट 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड में भी दर्ज था परन्तु उसे 90–ए में पक्षकार बनाये बिना व उसे सुने बिना उक्त आदेश पारित कर दिया वह न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरित होकर काबिल निरस्त है। उपखण्ड अधिकारी के अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 27.11.2012 होने के करीब 22 दिन बाद रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा आदेश जारी करवा लिया व जानबूझ आदेश के तथ्य को छिपाकर जारी करवाया जो बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या–31 ने बहस में बताया कि आवेदकों द्वारा आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबन्दी की प्रति, राजस्व खसरा, अनुरेख सम्यक रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र और शपथ पत्र, की–मेप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये। जिनके अवलोकन, परिक्षण उपराक्त 90–ए की कार्यवाही नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा की गई। इसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र उदयपुर एक्सप्रेस में प्रकाशित करा आपत्तियां आमंत्रित की गयी थी। निर्धारित अवधि में कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं होने से प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा की गयी 90–ए की कार्यवाही नियमानुसार की गई है, जिससे अपील अपीलान्ट निरस्त योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या–1, 5, 8, 10, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30 ने बहस में बताया कि अपीलान्ट हितबद्ध पक्षकार नहीं है तथा अपील लाने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट पूर्वाधिकारी मीराबाई, मोहनीबाई, जमुनाबाई द्वारा जमीन तारीख 19.06.2006 को खरीदना बताया है जबकि मीराबाई, मोहनी बाई, जमुनाबाई द्वारा प्रस्तुत वाद न. 95/2005 वाद पत्र विचाराधीन होते हुए व उसके बाद अपीलान्ट जितेन्द्र ने भी इस विक्रय पत्र के आधार पर तारिख 26.11.2012 को सक्षम न्यायालय में दावा पेश किया वो भी तारिख 31.12.2012 को खारिज हो गया है जिसके मुकदमा नम्बर 395/2012 वाद पत्र है, जिससे वादी अपने अधिकारों की घोषणा नहीं करा सका है व वाद निरस्त हो चुके है। इस निर्णय की अपीलान्ट द्वारा राजस्व अपील अधिकारी में अपील पेश की जो भी तारिख 08.10.2014 को खारिज हो गयी है जिसके मुकदमा न. 15/2013 है। अपीलान्ट ने यह अपील धारा 90ए के आदेश दिनांक 19.12.2012 के विरूद्ध पेश की है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को मुकदमा न. 395/2012 वाद में रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नि. 11 जा.दी. के जवाब में 90ए की कार्यवाही होने की आपत्ति ली जाने से सन् 2012 में ही हो गयी थी फिर भी अपीलान्ट ने 90ए के आदेश की जानकारी 31.10.2014 को होना पाया गया है अपील मयाद बाहर पेश की है। धारा 5 का जवाब मय शपथ पत्र पेश कर खण्डन किया गया है, अतः अपील मयाद बाहर शुमार फरमाई जावें। विवादित भुमि पर रेस्पोडेंटस् के मकान बन चुके है व निवास कर रहे है। मकान अपीलान्ट की जानकारी में बने है। रेस्पोडेंट के रहने के लिये कोई मकान नहीं है। सड़क व नालियां बन चुकी है। पानी, बिजली कनेक्शन हो गये है, व्यवस्थित कॉलोनी है। कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए विधिवत 90ए की कार्यवाही की गई। अपीलान्ट को कोई हित नहीं है। सक्षम न्यायालय से उसके दावे निरस्त हो चुके है। अन्त में अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2012 (1) पेज संख्या 223 प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाने का अनुरोध किया है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट जितेन्द्र ने विक्रय पत्र दिनांक 19.06.2006 के आधार पर तारिख 26.11.2012 को सक्षम न्यायालय में दावा पेश किया जो तारिख 31.12.2012 को खारिज हो गया है। इस निर्णय की अपीलान्ट द्वारा राजस्व अपील अधिकारी में अपील पेश की जो भी तारिख 08.10.2014 को खारिज हो गयी है जिसके मुकदमा न. 15/2013 है। विद्धान अधिवक्ता रेस्पोडेंटन से दृढता से तर्क दिया कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 90ए के आदेश दिनांक 19.12.2012 के विरूद्ध पेश की है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को मुकदमा न. 395/2012 वाद में रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नि. 11 जा.दी. के जवाब में 90ए की कार्यवाही होने की आपत्ति ली जाने से सन् 2012 में ही हो गयी थी फिर भी अपीलान्ट ने 90ए के आदेश की जानकारी 31.10.2014 को होना पाया गया है अपील मयाद बाहर पेश की है। उक्त आराजीयता के संबंध में धारा 90–बी के आदेश दिनांक 19.12.2012 को पारित किये गये। रेस्पोडेंट संख्या–31 द्वारा पुनर्ग्रहण आदेश से पूर्व अखबार में आपत्तियॉ आमंत्रित की गई थी, लेकिन कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने से नियमानुसार एवं विधि सम्मत आदेश जारी किया गया। आदेश खातेदारों/भूखण्डधारियों के द्वारा प्रस्तुत सर्मपण पत्र, ले–आउट प्लान एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन एवं परिक्षण उपरान्त पारित किया गया है। उपरोक्त विवचेन से अधीनस्थ न्यायालय नगर विकास प्रन्यास का आदेश दिनांक 19.12.2012 विधिसम्मत प्रतीत होता है, जिससे हम उक्त आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2012 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर